BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 10 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 32,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजकुमार पुत्र बने सिंह निवासी ग्राम ख्वाजपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में थाना जांहगीरपुर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को भगा लेजाना तथा उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2022 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं- 34/22 धारा 363,366,376(3) भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा दिनांक 24.05.2022 को मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 10.01.2025 को न्यायाधीश श्री वरुण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 32,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा, श्री वरुण शर्मा व श्री आशुतोष का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर